दिनाक 07.02.2021
प्रेस विज्ञप्ति–07 / 21

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना इन्दिरानगर

- **03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की घटनाओ का अनावरण**
- **लगभग 35 लाख रूपये कीमत के चोरी के सोने चाँदी के आभूषण**
- **54 हजार 922 रूपये नगद**
- **घटना में प्रयुक्त 02 अपाची मोटर साइकिल**
- **05 लोहे की सुम्मी, सब्बल आदि बरामद**

दिनांक 07–02–2021 को थाना इन्दिरानगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना इन्दिरानगर क्षेत्र से 03 शातिर अभियुक्तों 1–सिराज अहमद, 2–आदित्य, 3–धीरज को गिरफ्तार कर थाना इन्दिरानगर व गाजीपुर में हुई चोरी की कई घटनाओ का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 35 लाख रूपये कीमत के चोरी के सोने चाँदी के आभूषण, 54 हजार 922 रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त 02 अपाची मोटर साइकिल, 05 लोहे की सुम्मी, सब्बल आदि बरामद हुऐ।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, गिरफ्तार अभियुक्त सिराज के विरूद्ध कमिश्नरेट लकनऊ, जनपद अयोध्या, सुलतानपुर के विभिन्न थाना क्षेत्रो में हत्या, लूट, चोरी, नकबजनी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 02 दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा अपाची मोटर साइकिल से दिन में ताला बन्द मकानो को चिन्हित कर रात में ताला बन्द मकानो का ताला तोड़कर चोरी की घटना कारित की जाती है। अभियुक्तों से बरामद माल थाना इन्दिरानगर व थाना गाजीपुर क्षेत्र में हुई चोरी की कई घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना इन्दिरानगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1– सिराज अहमद निवासी गोरावारिक अमहट थाना कोतवाली नगर जनपद सुलतानपुर, हालपता प्लाट नं0–10 आईआईएम रोड़ रायपुर भिठौली खुर्द थाना मड़ियाव कमिश्नरेट लखनऊ।

2– आदित्य निवासी कोहीडडिया थाना कादीपुर जनपद सुलतानपुर।

3– धीरज निवासी मिसरौली थाना गोसाईगंज जनपद सुलतानपुर।

बरामदगी

1– लगभग 35 लाख रूपये कीमत के चोरी के सोने चाँदी के आभूषण

2– 54 हजार 922 रूपये नगद

3– घटना में प्रयुक्त 02 अपाची मोटर साइकिल

4– 05 लोहे की सुम्मी, सब्बल आदि

जनपद बलिया/थाना सुखपुरा

- **15–15 हजार रूपये के पुरस्कार घोषित 03 अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 07–02–2021 को थाना सुखपुरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रतसड़–रजवाह नहर पुलिया के पास से 15–15 हजार रूपये के 03 पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1–गोरख कुमार, 2–अवधेश, 3–रमेश कुमार को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना सुखपुरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 154/2020 धारा 2/3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15–15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सुखपुरा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1– गोरख कुमार निवासी महाबीर स्थान थाना सिकन्दरापुर जनपद बलिया।

2– अवधेश निवासी महाबीर स्थान थाना सिकन्दरापुर जनपद बलिया।

3– रमेश कुमार निवासी सिवान कला थाना सिकन्दरपुर जनपद बलिया

जनपद बहराइच/थाना सुजौली

- **03 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार**
- **18 किलो 500 ग्राम अवैध चरस**
- **13 हजार 500 रूपये (इण्डियन करेन्सी) व 1330 रूपये (नेपाली करेन्सी) नगद**
- **02 मोबाइल फोन 04 नेपाली सिम, 01 इण्डियन सिम, बरामद**

दिनांक 06—02—2021 की रात्रि थाना सुजौली व एस0एस0बी0 की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान बेल घटवा नाला पुल के पास से मादक पदार्थ तस्कर 1.सरस्वती, 2.झरना, 3.लक्ष्मी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्ताओ के कब्जे से 18 किलो 500 ग्राम अवैध चरस (लगभग 54 करोड रूपये अन्तराष्ट्रीय कीमत की) 02 मोबाइल फोन 04 नेपाली सिम, 01 इण्डियन सिम, 13 हजार 500 रूपये (इण्डियन करेन्सी) व 1330 रूपये (नेपाली करेन्सी) नगद बरामद हुऐ ।

इस सम्बन्ध में थाना सुजौली पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्ता

1— सरस्वती पत्नी भरत निवासी 17 नम्बर गांव थाना लाली बाजार जनपद वर्दिया प्रदेश सं0 5 नेपाल राज्य।

2— झरना पत्नी दिल बहादुर निवासी 17 नम्बर गांव थाना लाली बाजार जनपद वर्दिया प्रदेश सं0 5 नेपाल राज्य।

3— लक्ष्मी पत्नी अर्जुन निवासी 17 नम्बर गांव थाना लाली बाजार जनपद वर्दिया प्रदेश सं0 5 नेपाल राज्य।

बरामदगी

1— 18 किलो 500 ग्राम अवैध चरस

2— 02 मोबाइल फोन 04 नेपाली सिम, 01 इण्डियन सिम

3— 13 हजार 500 रूपये (इण्डियन करेन्सी) व 1330 रूपये (नेपाली करेन्सी) नगद

जनपद फिरोजाबाद/थाना उत्तर

- **01 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार**
- **500 ग्राम अवैध हेरोइन**
- **05 किलोग्राम अवैध गांजा**

दिनांक 06—02—2021 की रात्रि थाना उत्तर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान न्यू रामगढ़ की पुलिया के पास से मादक पदार्थ तस्कर 1.मो0 जाबिर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 500 ग्राम अवैध हेरोइन (लगभग 2 करोड 50 लाख रूपये अन्तराष्ट्रीय कीमत की) 05 किलोग्राम गांजा लगभग 50 हजार रूपये कीमत का बरामद हुआ।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी एवं थाना रसूलपुर से हिस्ट्रीशीटर है, जिसके विरूद्ध जनपद फिरोजाबाद के विभिन्न थानो में हत्या, हत्या का प्रयास, गुण्डा एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट, जुआ अधिनियम, एनडीपीएस एक्ट आदि के 18 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना उत्तर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1— मो0 जाबिर निवासी गालिब नगर थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद।

बरामदगी

1— 500 ग्राम अवैध हेरोइन

2— 05 किलोग्राम अवैध गांजा

जनपद बिजनौर/थाना अफजलगढ़

- **चोरी की घटना का अनावरण 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 02 लाख रूपये नगद**
- **सोने चाँदी के आभूषण**
- **1130 प्रतिबन्धित नशीली गोलिया बरामद**

दिनांक 06—02—2021 को थाना अफजलगढ़ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान सरकारी अस्पताल के पास से 02 अभियुक्तो 1— मो0 याकूब उर्फ मुन्ना ,

2—सोहेब को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के 02 लाख रूपये नगद व सोने चाँदी के आभूषण (02 मंगलसूत्र, 01 जोडी कुण्डल, 01 बाली, 01 नाक की नथनी, 03 लोग नाक की, 01 जोडी कान के बुन्दे, 07 अंगुठी सोने की, 06 जोड़ी पायजेब, 06 अंगुठी चाँदी की, 04 घड़ी आदि) 1130 प्रतिबन्धित नशीली गोलिया बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 4/5.02.2021 की रात्रि अज्ञात चोरो द्वारा थाना अफजलगढ़ क्षेत्रान्तर्गत एक व्यक्ति के घर से चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना अफजलगढ़ पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। अभियुक्तों से बरादम रूपये व आभूषण उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना अफजलगढ़ पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1— मो0 याकूब उर्फ मुन्ना निवासी मौ0 बेगम सराय कस्बा व थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर।

2— सोहेब निवासी मौ0 नेजोसराय कस्बा व थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर।

बरामदगी

1— चोरी के 02 लाख रूपये नगद

2— सोने चाँदी के आभूषण (02 मंगलसूत्र, 01 जोडी कुण्डल, 01 बाली, 01 नाक की नथनी, 03 लोग नाक की, 01 जोडी कान के बुन्दे, 07 अंगुठी सोने की, 06 जोड़ी पायजेब, 06 अंगुठी चाँदी की, 04 घड़ी आदि)

3— 1130 प्रतिबन्धित नशीली गोलिया बरामद

जनपद देवरिया/थाना रामपुर कारखाना

- **02 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार**
- **लगभग 38 लाख रूपये कीमत की 530 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब**
- **01 ट्रक वहान बरामद**

दिनांक 06–02–2021 को थाना रामपुर कारखाना व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान पाण्डेय चक चौराहे के पास से 02 मादक पदार्थ तस्कर 1– मो0 तारिफ, 2– अफरोज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लगभग 38 लाख रूपये कीमत की अवैध अंग्रेजी शराब, व 01 ट्रक वाहन बरामद हुआ।

इस सम्बन्ध में थाना रामपुर कारखाना पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1– मो0 तारिफ निवासी मजिदपुरम थाना कोतवाली जनपद हापुड़।

2– अफरोज निवासी मसूरी जनपद गाजियाबाद।

बरामदगी

1– लगभग 38 लाख रूपये कीमत की अवैध अंग्रेजी शराब।

2– 01 ट्रक वाहन

जनपद सोनभद्र/थाना विण्डमगंज

- **02 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार**
- **लगभग 08 लाख रूपये कीमत के 74 किलोग्राम अवैध गांजा**
- **01 स्विफ्ट कार बरामद**

दिनांक 06–02–2021 को थाना विण्डमगंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान थाना तिराहे के पास से 02 मादक पदार्थ तस्कर 1– प्रियांशू, 2– मनीष को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लगभग 08 लाख रूपये कीमत के 74 किलोग्राम अवैध गांजा, 01 स्विफ्ट कार बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना विण्डमगंज पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1– प्रियांशू निवासी बनकटा चौकी निचलाघाट थाना कोतवाली जनपद बलिया।

2– मनीष निवासी नगरी चौकी हनुमानगंज थाना सुखपुरा जनपद बलिया।

बरामदगी

1– लगभग 08 लाख रूपये कीमत के 74 किलोग्राम अवैध गांजा

2– 01 स्विफ्ट कार

जनपद हाथरस/थाना सिकन्द्राराऊ

- **02 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार**
- **लगभग 08 लाख रूपये कीमत के 53.16 किलोग्राम अवैध गांजा**
- **01 कन्टेनर गाड़ी, 02 मोबाइल फोन बरामद**

दिनांक 06–02–2021 की रात्रि थाना सिकन्द्राराऊ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेंकिग के दौरान रेलवे फाटक एटा रोड़ सिकन्द्राराऊ के पास से 02 मादक पदार्थ तस्कर 1.बन्टी उर्फ विकाश, 2.विजय कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लगभग 08 लाख रूपये कीमत की 53.16 किलोग्राम अवैध गांजा, 01 कन्टेनर गाड़ी 02 मोबाइल फोन बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना सिकन्द्राराऊ पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1– बन्टी उर्फ विकाश निवासी वसई वाबस थाना सिकन्द्राराऊ जनपद हाथरस।

2– विजय कुमार निवासी सोनई थाना एका जनपद फिरोजाबाद।

<u>बरामदगी</u>

1– लगभग 08 लाख रूपये कीमत के 53.16 किलोग्राम अवैध गांजा

2– 02 मोबाइल फोन

3– 01 कन्टेनर गाड़ी

<u>जनपद अमरोहा/थाना अमरोहा नगर</u>

- **04 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **500–500 के जाली नोट 07 लाख रूपये**
- **जाली नोट छापने के उपकरण, (01 लैपटाप, 01 लेमिनेशल/कटर मशीन, 02 प्रिन्टर)**
- **नोट गिनने की मशीन**
- **25 एटीएम कार्ड, 04 मोबाइल फोन, 01 एनपीएस कार्ड,**
- **11 हजार 500 रूपये नगद**
- **01 चार पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनांक 07–02–2021 को थाना अमरोहा नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कांठ रोड बाईपास तिराहे से चेकिंग के दौरान 04 शातिर अभियुक्तों 1–नजारूल हसन, 2–नफीस अहमद सैफी, 3–अरविन्द कुमार, 4–कामिल को गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 500–500 के नकली नोट 07 लाख रूपये, जाली नोट छापने के उपकरण (01 लैपटाप, 01 लेमिनेशल/कटर मशीन, 02 प्रिन्टर) नोट गिनने की मशीन, 25 एटीएम कार्ड, 04 मोबाइल फोन, 01 एनपीएस कार्ड, 11 हजार 500 रूपये नगद, 01 चार पहिया वाहन आदि बरामद हुऐ।

इस सम्बन्ध में थाना अमरोहा नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1– नजारूल हसन निवासी सीकरी मिलक थाना कुन्दरकी जनपद मुरादाबाद।

2– नफीस अहमद सैफी निवासी कमालपुर फतिहाबाद थाना कुन्दरकी जनपद मुरादाबाद।

3– अरविन्द कुमार निवासी अहमद नगर थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा।

4– कामिल निवासी अहमद नगर थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा।

बरामदगी

1– 500–500 के नकली नोट 07 लाख रूपये

2– 01 लैपटाप

3– 01 लेमिनेशल/कटर मशीन

4– 02 प्रिन्टर

5– 01 नोट गिनने की मशीन

6– 25 एटीएम कार्ड, 01 एनपीएस कार्ड

7– 04 मोबाइल फोन,

8– 11 हजार 500 रूपये नगद

9– 01 चार पहिया वाहन आदि

एस0टी0एफ0- विभिन्न प्रदेशों में अर्थ केयर, रिलायंस जियो टावर लगवाने, उद्योग लगाने, डूडा लोन दिलाने, बालिका स्मृति योजना, फसल बीमा योजना, हेल्थ इन्श्योरेंस, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास योजना आदि के नाम पर झांसा देकर ठगी करने वाले गैंग का मास्टरमाइंड जनपद कानपुर नगर से गिरफ्तार।

दिनांकः 07–02–2021 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विभिन्न प्रदेशों में टावर लगवाने, उद्योग लगाने, डूडा लोन दिलाने, बालिका स्मृति योजना, फसल बीमा योजना, हेल्थ इंश्योरेन्स, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास योजना आदि के नाम पर झांसा देकर ठगी करने वाले गैंग का मास्टरमाइंड जनपद कानपुर नगर से गिरफ्तार करने मे उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :–

1– नवीन गिरि पुत्र श्री लल्लन गिरि निवासी नालन्दा, (बिहार) हाल पता ई–3/443, विनीत खण्ड थाना गोमतीनगर, जनपद लखनऊ।

बरामदगी :–

1. 02 अदद मोबाइल फोन।
2. कूटरचित दस्तावेज व डायरी।
3. विभिन्न बैंको की चेक।

4. विभिन्न बैंको के एटीएम कार्ड।
5. अपोलो लिखी मोहर।
6. आधार कार्ड।
7. रू0 563/— नगद

गिरफ्तारी का स्थान व समयः—

दिनांक :— 07.02.2021, **स्थानः**— रमईपुर तिराहा थाना क्षेत्र बिधनू कानपुर नगर **समयः**—09:15 बजे।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी समय से विभिन्न सरकारी योजनाओं के नाम पर पैसे की ठगी करने वाले गिरोह के सक्रिय होने की सूचना प्राप्त हो रही थी। इसी दौरान जनपद कानपुर नगर के थाना बिधनू कानपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 52/2021 धारा 419/420/467/468/471/व 66डी सूचना प्रोद्योगिकी अधि0 में वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु जनपद कानपुर नगर पुलिस द्वारा सहयोग हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 उ0प्र0 से अनुरोध किया गया था। जिसके क्रम में श्री अनिल कुमार सिसोदिया, प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0 के पर्यवेक्षण मे एस0टी0एफ0 मुख्यालय स्थित साइबर टीम को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। इसी क्रम मे साइबर टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

उपरोक्त के सम्बन्ध मे प्राप्त सूचना को विकसित करते हुए मुखबिर खास द्वारा मिली सूचना के आधार पर आज दिनांक 07.02.2021 को रमईपुर तिराहा थाना बिधनू, जनपद कानपुर नगर से नवीन गिरि पुत्र श्री लल्लन गिरि को समय 09:15 बजे गिरफ्तार किया गया, जिससे उपरोक्त बरामदगी हुई।

पूछताछ मे उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि मेरे पास से जो मोबाइलें बरामद हुई है, इसी में अलग—अलग सिम बदल कर लोगों को सरकारी योजनाओं अर्थ केयर, रिलायंस जियो टावर लगवाने, उद्योग लगाने, डूडा लोन दिलाने, बालिका स्मृति योजना, फसल बीमा योजना, हेल्थ इन्षोरेन्स, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास योजना आदि के नाम पर लोगों को झांसा देकर व उनसे कोरियर से चेक मंगाकर ठगी करता हूॅं। हम लोगों का एक संगठित गिरोह है जो विभिन्न राज्यों में सक्रिय होकर कार्य करता है व ठगी करके धन अर्जित करता है। साथ यह भी बताया कि अब तक हम लोगों के गैंग द्वारा विगत 5 वर्षो मे सैकड़ों लोगों से लाखों रूपयों की ठगी की जा चुकी है।

उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्त को मु0अ0सं0 52/2021 धारा 419/420/467/ 468/471/ व 66डी सूचना प्रोद्योगिकी अधि0 थाना बिधनू जनपद कानपुर नगर में दाखिल किया गया है, अग्रेतर विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

———————